रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1997/चैत्र 8, 1919

No. 131] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1997/CHAITRA 8, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1997

सा. का. नि. 177(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 165"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1997

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1997 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबन्धों के अनुसार 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राष्ट्र के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए राज्य विपत्ति सहायता कोष में केन्द्रीय सरकार का अंशदान है, भारत की संचित निधि पर भारित होगी :—

	राज्य	(रुपये लाखों में)
	(1)	(2)
1.	आंध्र प्रदेश	6985.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	528.00
3.	असम	3751.00
4.	बिहार	3897.00
5.	गोवा	80.00

(1)		(2)
6.	गुजरात	10470.00
7.	हरियाणा	1879.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2021.00
9.	जम्मू-काश्मीर	1478.00
10.	कर्नाटक	3139.00
11.	केरल	2077.50
12.	मध्य प्रदेश	3831.00
13.	महाराष्ट्र	5115.00
14.	मणिपुर	186.00
15.	मेघालय	209.00
16.	मिजोरम	95.00
17.	नागालैंड	128.00
18.	उड़ीसा	2757.00
19.	पंजाब	4061.00
20.	राजस्थान	13428.00
21.	सिक्किम	353.00
22.	तामिलनाडू	4451.00
23.	त्रिपुरा	337.00
24.	उत्तर प्रदेश	9384.00
25.	पश्चिमी बंगाल	3849.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां 1 अप्रैल, 1996 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में सहायता देने के उपायों पर व्यय की जाएंगी।

परन्तु यह और कि यदि सहायता उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया हो, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है, तो अतिशेष राज्य सरकार को प्राकृतिक विपत्ति सहायता कोष के भाग के रूप में उपलब्ध होगा।

(2) 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले वित्तिय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1996 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी ।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(3)/97-वि.-I]
के. एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Lagislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1997

G. S. R. 177 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

'C. O. 165'

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3 ORDER, 1997

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues), No. 3 Order, 1997.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1996, as grants-in-aid of the revenues of each of the State specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief in connection with natural calamities in the States :—

State		(Rupees in lakhs)
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	6985.50
2.	Arunachal Pradesh	528.00
3.	Assam	3751.00
4.	Bihar	3897.00
5.	Goa	80.00
6.	Gujarat	10470.00
7.	Haryana	1879.00
8.	Himachla Pradesh	2021.00
9.	Jammu and Kashmir	1478.00
10.	Karnataka	3139.00
11.	Kerala	2077.50
12.	Madhya Pradesh	3831.00
13.	Maharashtra	5115.00
14.	Manipur	186.00
15.	Meghalaya	209.00
16.	Mizoram	95.00
17.	Nagaland	128.00
18.	Orissa	2757.00
19.	Punjab	4061.00
20.	Rajasthan	13428.00
21.	Sikkim	353.00
22.	Tamil Nadu	4451.00
23.	Tripura	337.00
24.	Uttar Pradesh	9384.00
25.	West Bengal	3849.00

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 1996 on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States :

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any state, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1996 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1996.

SHANKER DAYAL SHARMA,
President

[F. No. 19 (3)/97-L-I]
K. L. MOHANPURIA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1997/चैत्र 8, 1919
No. 132] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1997/CHAITRA 8, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1997

सा. का. नि. 178(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 166"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 1997

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 1997 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

राज्य	रुपए करोड़ों में
1. आंध्र प्रदेश	202.98
2. अरूणाचल प्रदेश	109.26
3. असम	249.94
4. बिहार	75.34
5. गोवा	26.88
6. हिमाचल प्रदेश	273.00
7. जम्मू-कश्मीर	419.05
8. मणिपुर	124.28
9. मेघालय	111.89
10. मिजोरम	117.60
11. नागालैंड	188.46
12. उड़ीसा	133.35
13. सिक्किम	37.45
14. त्रिपुरा	172.98
15. उत्तर प्रदेश	298.60